



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान से संबंधित
आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 08/2019

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 288 दिनांक 23.01.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के अनुदान वितरण के संबंध में संबंधित संस्था के शासी निकाय/प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही की मांग दिनांक **28.01.2019** तक की गई है।

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के सचिव/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि उक्त वित्तीय वर्ष के अनुदान वितरण से संबंधित बैठकों की कार्यवाही की मूल प्रति एवं उसकी छाया प्रति तथा वितरित अनुदान से संबंधित कागजात (यथा-बैंक को भेजी गई राशि का ब्यौरा, बैंक स्टेटमेंट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि) की दो प्रतियों में सत्यापित करते हुए **दिनांक 27.01.2019** तक परिषद् कार्यालय, राँची में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित किया जाय ताकि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र के आलोक में यथा वांछित कागजात उन्हें ससमय समर्पित किया जा सके।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/ कॉ.स्था./44/19-SECY-85/19

Dt. 24.01.2019

D.O.P: 25.01.2019